प्रेस नोट

भिवानी, 10 मई, 2018 : हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की सीनियर सैकेण्डरी परीक्षा मार्च-2008 से मार्च-2014 तक में 80 शतकम् (Percentile) या इससे अधिक अंक प्राप्त करके उत्तीर्ण होने वाले ऐसे परीक्षार्थी जिनको मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित सैन्ट्रल सैक्टर स्कोलरशीप स्कीम फॉर कॉलेज एण्ड युनिवर्सिटी स्टुडेंट "Central Sector Scholarship Scheme for College & University Students" के अंतर्गत वर्ष 2008 से 2014 तक में चयन एवं फ्रैश/रिन्यूवल (प्रथम व द्वितीय छात्रवृत्ति किस्त) छात्रवृत्ति के रूप में प्राप्त हुई है इस अवधि के दौरान छात्र/छात्राएं केवल रिन्यूवल फार्म ऑफलाईन भरने से वंचित रह गये थे ऐसे छात्रों को छात्रवृत्ति फार्म भरने का एक सुनहरा अवसर मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिया गया है।

यह जानकारी देते हुए बोर्ड के सचिव श्री धीरेन्द्र खड़गटा, आई.ए.एस. ने आज यहाँ जारी एक प्रेस वक्तव्य में बताया कि ऐसे स्कोलर बोर्ड की वेबसाईट www.bseh.org.in से छात्रवृत्ति फार्म डाऊनलोड करने उपरांत अपना छात्रवृत्ति फार्म 31 मई, 2018 तक शिक्षा बोर्ड कार्यालय के सीनियर सैकेण्डरी शाखा के कमरा नं० 100 में सायं 5:00 बजे तक पंजीकृत डाक से या दस्ती जमा करवा सकते हैं।

Sd/--
सचिव